राजस्थान सरकार

निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 5/2018/रे0वाद/ निर्णय दिनांक :– 07.08.2019

अनवान

1. श्री भंवरलाल पिता गुलाब जाति कलाल आयु 65 वर्ष निवासी ईश्रमण्ड तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

———वादी

बनाम

1. श्री सुखलाल पिता पेमा जाति कलाल आयु बालिग निवासी मालकोट तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द हाल निवासी हीरावाडी 4 रास्ता बापू नगर रोड अहमदाबाद तहसील व जिला अहमदाबाद (गुजरात)
2. तहसीलदार देवगढ़ जरिये प्रतिनिधी राज्य सरकार।

———प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–188

उपस्थित :– 1. लुम्बसिंह वकील वादी

वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम ईश्रमण्ड की आराजी नम्बर 1 शा.न. न. 5 रकबा 15.02, आराजी नम्बर 2 रकबा 1.02, आराजी नम्बर 3 रकबा 1.06, आराजी नम्बर 4 रकबा 0.17, आराजी नम्बर र47 रकबा 8.08 कुल किता 5 रकबा 26.15 बीघा भूमि में सुखलाल पिता पेमा का हिस्सा व मिठुलाल पिता छोगा का 1/6 हिस्सा दर्ज रेकार्ड था तथा वादी भंवरलाल के पिता गुलाब जी के खाते की भूमि आराजी नम्बर 1059 रकबा 0.18 विस्वा में हिस्सा दर्ज था। सुखलाल पिता पेमा जी व मिठूलाल पिता छोगा जी के हिस्से की 4.00 बीघा व वादी के पिता गुलाब के खाते की आराजी नम्बर 1059 रकबा 0.18 में से वादी के पिता का हिस्सा रकबा 02.10 विस्वा भूमि का उपरोक्त वर्णित आराजियात नम्बरों में से अदला बदली एक्सचेन्ज करने हेतु दिनांक 22.10.88 को एक इकरार पत्र निष्पादित कर आपस में अदला बदली कर कब्जा अपनी – अपनी भूमि का एक दूसरे का करा दिया तथा सुखलाल व मिठूलाल की भूमि 4.00 बीघा ज्यादा होने से गुलाब जी ने दोनों को 1800 रूपये अदा किये एवं दोनों पक्षकारों की अदला बदली की भूमि का कब्जा परिवर्तित करा दिया जो 29 वर्ष से निरन्तर चला आ रहा हैं। मिठूलाल पिता छोगा जी ने माफि इकरार अपने हिस्से की भूमि 4.00 बीघा में से आधी अर्थात् 2.00 बीघा की रजिस्ट्री दिनांक 4.08.2017 को वादी के हक में करवादी। वादी के पिता गुलाब की मृत्यु वर्ष 2011 में हो गई। वादी के पिता ने भी माफिक इकरार अपनी 2.10 बीघा भूमि की रजिस्ट्री दूसरे पक्षकारों के हक में करवा दी। वादी के पिता की मृत्यु होने तथा वादी के बाहर बैंगलोर में व्यवसाय हेतु रहने से वादी ने प्रतिवादी को इकरार मुताबिक भूमि की रजिस्ट्री उसके हक में कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने रजिस्ट्री नहीं कराई तथा रजिस्ट्री कराने

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

से साफ इन्कार कर दिया। वादी का उसके पिता के समय से भूमि पर कब्जा कास्त 4.00 बीघा एवं सुखलाल के 1/12 हिस्से पर दिनांक 22.10.88 से आज दिनांक तक 29 वर्षों से चला आ रहा हैं। जिससे वादी का सुखलाल के हिस्से की 2.00 बीघा भूमि पर वादी का 29 वर्षों से अधिक समय तक निरन्तर कब्जा कास्त से खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो गये। प्रतिवादी उक्त आराजियात को अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं करें, वादी से भूमि का कब्जा नहीं छीने इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को मय नकल वादपत्र के सम्मन जारी किये गये। वादी संख्या 1 को जारी सम्मन उसके पते पर भेजे जो वादी को तामील नहीं हुऐ। वादी को जारी सम्मन तामील नहीं होने से उसके नाम का सम्मन अखबार में छाया करवाया गया। अखबार में छाया करवाने पर भी प्रतिवादी संख्या 1 ने कोई जवाब पेश नहीं किया ब्लकि बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई हैं। प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाब पेश किया जो शामिल फाईल किया गया प्रतिवादी संख्या 2 के जवाब अनुसार दावे अनुसार निर्णय पारित किये जाने में प्रतिवादी संख्या 2 को कोई आपत्ति नहीं हैं। वकील वादी की बहस सुनी। वकील वादी ने बहस में तर्क दिया कि वादग्रस्त भूमि सुखलाल व मिठूलाल के हिस्से की 4.00 बीघा भूमि वादी के पिता गुलाब के खाते की आराजी नम्बर 1059 रकबा 0.18 में से वादी के पिता का हिस्सा रकबा 2.10 विस्वा भूमि में से अदला बदली करने हेतु एक इकरार पत्र निष्पादित कर आपस में अदला बदली कर कब्जा अपनी – अपनी भूमि का एक दूसरे को करा दिया तथा सुखलाल व मिठूलाल की भूमि 4.00 बीघा ज्यादा होने से गुलाब जी ने दोनो को 1800 रूपये अदा किये तथा दोनो पक्षकारों की अदला बदली की भूमि का कब्जा परिवर्तित कर दिया जो निरन्तर चला आ रहा हैं। वादी के पिता गुलाब की मृत्यु हो गई वादी के पिता ने माफिक इकरार अपनी 2.10 विस्वा भूमि की रजिस्ट्री दूसरे पक्षकारों के हक में करा दी वादी के पिता की सन् 2011 में मृत्यु हो गई तथा वादी बाहर बैंगलोर में व्यवसाय करता था। वादी ने प्रतिवादी को इकरार के मुताबिक भूमि की रजिस्ट्री उसके हक में कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने रजिस्ट्री नहीं करवाई तथा अन्त में प्रतिवादी ने रजिस्ट्री कराने से मना करा दिया। भूमि पर कब्जावादी का 29 वर्षों से निरन्तर चला आ रहा हैं। अतः वादी का वादी स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम ईशरमण्ड में स्थित वादग्रस्त भूमि को वादी के खाते दर्ज कराने की घोषणा कराई जावें तथा इसी आशय की डिक्री प्रदान कराई जावें।

हमने वादी के वादपत्र नकल जमाबन्दी जवाब प्रतिवादी संख्या 2 इकरार पत्र, विक्रय पत्र एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों अवलोकन किया तथा विद्वान वकील वादी की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन एवं विद्वान वकील वादी का बहस पर मनन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बीच उक्त वादग्रस्त भूमि की अदला बदली हुई हैं। वादी क

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

पिता ने अदला बदली अनुसार भूमि प्रतिवादी के पिता के नाम दर्ज करवा दी लेकिन प्रतिवादी ने वादी के नाम नहीं करवाई जिससे यह वाद उत्पन्न हुआ हैं।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम ईश्रमण्ड की भूमि के आराजी नम्बर 1 शा.न. 5 रकबा 15.02, आराजी नम्बर 2 रकबा 1.02, आराजी नम्बर 3 रकबा 1.06, आराजी नम्बर 4 रकबा 0.17, आराजी नम्बर 47 रकबा 8.08 बीघा कुल किता 5 रकबा 26.15 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा में से 2.00 बीघा भूमि का वादी को खातेदार टेनेन्ट घोषित किया जाता हैं साथ ही वादी द्वारा नियमानुसार पंजियन शुल्क जमा कराने पर निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावें। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ़ को भेजी जावें। निर्णय आज दिनांक 07.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखा गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें तद्नुसार डिक्री जारी की जावें।

सहायक कलक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द

राजस्थान–सरकार

डिग्री व मुकद्दमे इब्तदाई

निर्णय बईजलास श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़

प्र0सं0 5/2018/रे0वाद/ निर्णय दिनांक :– 07.08.2019

अनवान

1. श्री भंवरलाल पिता गुलाब जाति कलाल आयु 65 वर्ष निवासी ईश्रमण्ड तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

——वादी

बनाम

2. श्री सुखलाल पिता पेमा जाति कलाल आयु बालिग निवासी मालकोट तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द हाल निवासी हीरावाडी 4 रास्ता बापू नगर रोड अहमदाबाद तहसील व जिला अहमदाबाद (गुजरात)
3. तहसीलदार देवगढ़ जरिये प्रतिनिधी राज्य सरकार।

——प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान टैनेन्सी एक्ट

उपस्थित :– 1. लुम्बसिंह वकील वादी

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू .... मिनजानिब मुद्वयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं व डिकी दी जाती हैं कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम ईश्रमण्ड पटवार हल्का ईश्रमण्ड के आराजी नम्बर 1 शा.न. 5 रकबा 15.02, आराजी नम्बर 2 रकबा 1.02, आराजी नम्बर 3 रकबा 1.06, आराजी नम्बर 4 रकबा 0.17, आराजी नम्बर 47 रकबा 8.08 बीघा कुल किता 5 रकबा 26.15 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा में से 2.00 बीघा भूमि का वादी को खातेदार टेनेन्ट घोषित किया जाता हैं साथ ही वादी द्वारा नियमानुसार पंजियन शुल्क जमा कराने पर निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं।

नीज .... मुबलिग ....बाबत .... खर्चा इस मुकद्यमें के मय सूद व शहर .... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज **तारीख 07 मास अगस्त सन् 2019** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द

मुद्दई	रूपया	पै0	मुद्दायला	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा	3	00	स्टाम्प वकालातनामा	0	00
स्टाम्प वकालातनामा	1	00	स्टाम्प अरजी	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	महनताना वकील)पर	0	00
महनताना वकील)पर	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
फीस कमीश्नर	0	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	5	00		0	
मिजान	9	00	मिजान	00	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिऐं।

सहायक कलेक्टर

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द